IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 5, May 2022
Impact Factor: 6.252

जम्मू–कश्मीर में आतंकवाद व मानवाधिकर के प्रभाव का एक अध्ययन

Lok Pati Yadav[1] and Dr. Saroj Agrawal[2]
Research Scholar, M. A. Political Science, U.G.C. Net[1]
Professor/Assistant Professor, Government Girls College, Morena, MP, India[2]

शोध–सारांश

विश्व में प्राचीनकाल से ही किसी न किसी रूप में मानवाधिकार की अवधारणा ने अपना स्थान बना लिया था। प्राचीन यूनान में अरस्तु का न्याय सिद्धांत सामने आया, प्राचीनकाल में महाभारत के शान्ति पर्व में राजा के आचरण के बारे में कहा गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रजा के कल्याण में राजा का कल्याण बताया गया है। सम्राट अशोक ने कलिंग अभिलेख में प्रजा को सन्तान की तरह माना और अधिकारियों को जनता पर अत्याचार न करने का निर्देश दिया। मानवाधिकारों के संबंध में भारतीय परम्परा को देखे तो स्पष्ट होता है कि पुरातन काल में हमारे यहां मानवाधिकारों के सरंक्षण एवं संवर्धन के लिए सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएं की गयी है। ''वासुधैव कुटुम्बकम्'' का सार्वभौमिक सिद्धांत हमारी संस्कृति का मूल रहा है। जिसमें न केवल देश बल्कि सम्पूर्ण विश्व के सभी प्राणियों को एक ही परिवार का सदस्य माना गया है। [1] प्रस्तुत शोध पत्र में जम्मू कश्मीर का अध्ययन करने का अनुपम प्रयास हैं।

मुख्यशब्द :– जम्मू–कश्मीर, आतंकवाद, मानवाधिकार आदि।

प्रस्तावना :–

ऐतिहासिक रूप से मानवाधिकारों के लिए संघर्ष का प्रमाण 15 जून 1215 की उस घटना में मिलता है जब ब्रिटेन के सीमेण्ड नामक स्थान पर तत्कालीन सम्राट जॉन को उसके समान्तों द्वारा मानवाधिकारों को मान्यता देने वाले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया। इतिहास में 'मैग्नाकार्टा' के नाम से जाना जाता है। मैग्नाकार्टा के द्वारा जो अधिकार सामंतों को प्राप्त हुए कालांतर मं जनसाधारण को हस्तांतरित हो गयी। इसी प्रकार वर्ष 1789 में एक 'अधिकार पत्र' पर ब्रिटेन के सम्राट के हस्ताक्षर करवाने में ब्रिटेन की संसद सफल हुई, तो बाद में मानवाधिकारों के क्षेत्र में मील का पत्थर सिद्ध हुई। वर्ष 1976 में अमरीकी क्रान्ति के बाद स्वाधीनता की घोषणा की गयी। जिसमें कहा गया कि ''सभी मनुष्य जन्म से समान है'' फ्रांस में 1789 में हुई क्रान्ति जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाई–चारे के नारे दिये गये। क्रान्ति के बाद फ्रांस की राष्ट्रीय सभा के नये संविधान में मानवाधिकारों की घोषणा को शामिल करके नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकारों के संवैधानिक रूप से मान्यता देने की प्रथा शुरू की। वर्ष 1791 मे अमेरिका के संविधान का अंग बनाया गया। यह संविधान संशोधन सामूहिक रूप से अधिकार पत्र कहलाये। इसका प्रभाव विश्व के अन्य देशों के संविधानों पर भी पड़ा। जापान का संविधान (1947) आयरलैण्ड का संविधान (1921), भारत का संविधान (1950) फ्रांस का संविधान (1958) एवं चीन का संविधान (1982) आदि में बना।

मानवाधिकार का अर्थ :–

मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव प्राणी होने के नाते प्राप्त होते है। भले ही उसकी राष्ट्रीयता, लिंग, वर्ग, जाति, व्यवसाय और सामाजिक–आर्थिक स्थिति कुछ भी हो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (भ्नउंद तपहीजे चतवजमबजपवद ।बज) 1993 की धारा 2 (घ) में मानवाधिकार को पारिभाषित किया गया है। इसके अनुसार मानवाधिकार से तात्पर्य व्यक्ति के जीवन,

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 5, May 2022
Impact Factor: 6.252

स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से संबंधित उन अधिकारों से है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत है अथवा अन्तर्राष्ट्रीय करारों में सम्मिलित है और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। मानवाधिकारों एवं मानव गरिमा की धारणा रखने लिए आवश्यक है उन्हें मानवाधिकार कहा जाता है।[2] मानवाधिकारों का संबंध मानव की स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा के साथ जीने के लिए स्थितियां उत्पन्न करने से होता है। मानवाधिकार ही समाज में ऐसा वातावरण उत्पन्न करते हैं जिसमें सभी व्यक्ति समानता के साथ निर्भीक रूप से मानव गरिमा के साथ जीवन व्यतीत कर पाते हैं। मानवाधिकरों को मूल अधिकार, आधारभूत अधिकार, नैसर्गिक अधिकार व जन्मजात अधिकार भी कहा जाता हैं।[3]

मानवाधिकार संबंधी सार्वभौमिक घोषणा :

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अधीन कार्य करते हुए, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने फरवरी 1946 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गयी। इस आयोग को यह निर्देश किया गया कि वह, एक अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र, नागरिक स्वतंत्रताओं, स्त्रियों के स्तर, सूचना की स्वतंत्रता और अन्य विषयों पर अन्तर्राष्ट्रीय समझौता या घोषणा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, नस्ल, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर भेदभाव रोकने तथा मानवाधिकारों से संबंधित अन्य विषयों पर अपनी सिफारिशें और रिपोर्ट पेश करें। यह आयोग 30 महीने तक कड़ी परिश्रम करके मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसम्बर 1948 को अपना लिया। यह दिन मानवाधिकारों की सुरक्षा के कैलेण्डर में एक सुनहरा दिन बन गया। यह संयुक्त राष्ट्र की एक महान उपलब्धि माना गया। अतः आज हम 10 दिसम्बर के दिन को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं।[4]

वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के विकास का घटनाक्रम :

मानवाधिकारों के लिए संघर्ष का ऐतिहासिक रूप में प्रमाण 12 जून 1915 की उस घटना में मिलता है, जब ब्रिटेन के तत्कालीन सम्राट जॉन को उसके सामन्तों द्वारा मानवाधिकारों को मान्यता देने वाले घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया, इसे इतिहास में ''मैग्नाकार्टा'' के नाम से जाना जाता है। 1689 ई में ब्रिटेन की संसद तत्कालीन सम्राट विलियम से एक अधिकार पत्र (ठपसस वत्पहीजे) पर हस्ताक्षर कराने में सफल रही, जो मानवाधिकारों के क्षेत्र में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। 1766 के स्वीडन सूचना का अधिकार का कानून लागू वाला विश्व का पहला देश बना। सन् 1776 के अमरीकी क्रांति के बाद स्वाधीनता की घोषणा की गई, जिसमें कहा गया कि ''सभी मनुष्य जन्म से समान पैदा हुए हैं।'' 1789 में फ्रान्स में फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने 1789 में 'राइट्स ऑफ एण्ड सिटिजन' की घोषणा की। सन् 1791 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संविधान में वर्ष 1791 में प्रथम 10 संसोधनों द्वारा नागरिकों के मूल अधिकार को संविधान का अंग बनाया गया। यह दस संशोधन सामूहिक रूप से अधिकार पत्र कहलाये।

सन् 1971 ई0 में रूस क्रांति के बाद सर्वहाराओं के लिए मूल अधिकारों की घोषणा रूस में की गई। सन् 1931 ई0 में भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के करांची अधिवेशन में अधिकारों की मांग की गई। 6 जनवरी 1941 ई0 को अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रेंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा मानवाधिकारों के संबंध में एक घोषणा की गयी जिसमें चार स्वतंत्रताओं की घोषणा की गयी। 24 अक्टूबर 1945 ई0 को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 'संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। 11 फरवरी 1946 ई को संयुक्त राष्ट्र संघ में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी।

सन् 1946 ई0 को संयुक्त राष्ट्र संघ आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा महिलाओं की हैसियत पर आयोग की स्थापना की गयी। सन् 1947 ई0 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 'अल्पसंख्यकों पर उप–आयोग' की स्थापना की गई। 10 दिसम्बर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 5, May 2022
Impact Factor: 6.252

स्तर पर संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 10 दिसम्बर 1948 ई0 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र की स्वीकार किया। अतः इसी दिन प्रत्येक वर्ष ''मानवाधिकार दिवस' के रूप में मनाया जाता है। मानवाधिकारों के इस घोषणा–पत्र में कुल 30 अनुच्छेद है, इसे ''मानवाधिकारों का मैग्नाकार्टा'' भी कहते हैं। सन् 1949 ई0 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा युद्धबंदियों से संबंधित जेनेवा प्रसंविदा स्वीकार की गयी। सन् 1950 में भारत के संविधान के भाग–3 (अनु0 12 से 35) तक में मूल अधिकार को शामिल किया गया। संविधान के भाग तीन के मूल अधिकारों को ''भारत का अधिकार पत्र' कहा जाता है। 4 नवम्बर 1950 को यूरोपीय देशों में यूरोपीय मानवाधिकार प्रसंविदा को चार नवम्बर 1950 को अंगीकार किया गया जो 3 सितम्बर 1953 से लागू हुई।

सन् 1951 में संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थियों की प्रस्थिति से संबंधित प्रसंविदा बनाई गयी, जो लागू अप्रैल 1954 को हुई। सन् 1952 ई0 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 'महिलाओं के राजनैतिक अधिकारों पर प्रसंविदा' को अंगीकार किया। सन् 1954 को यूरोपीय देशों ने यूरोपीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की। सन् 1955 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैदियों के सुधार से संबंधित 'न्यूनतम मानक नियम' बनाये गये। 20 नवम्बर 1959 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा की। सन् 1961 में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 'एमनेस्टी इण्टरनेशनल' की स्थापना की गयी। 18 अक्टूबर 1961 ई0 को यूरोपीय देशों ने यूरोपीय सामाजिक चार्टर पर 18 अक्टूबर 1961 को (ट्रीन) में हस्ताक्षर किये गये। यह फरवरी 1965 को लागू हुआ था। सन्1966 ई0 संयुक्त राष्ट्र संघ प्रजातीय भेदभाव की समाप्ति हेतु संयुक्त राष्ट्र–अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन हुआ।

सन् 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 'सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा तथा 'आर्थिक' सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा दिसम्बर 1966 में स्वीकार की गई। जबकि यह दोनों प्रसंविदाएं 1976 से प्रभावी हो सकी। दिसम्बर 1966 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा का प्रथम वैकल्पिक प्रोटोकाल दिसम्बर 1966 में स्वीकार/अंगीकार किया गया जो 23 मई 1976 को लागू हुआ। 7 नवम्बर 1967 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव की समाप्ति की घोषणा की।

सन् 1968 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तेहरान (ईरान) में विश्व मानवाधिकार सम्मेलन आयोजन हुआ। दिसम्बर 1968 में क्षेत्रीय स्तर पर बेरूत में 'अरब लींग' का मानवाधिकारों पर अरब क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया और एक 'स्थायी अरब' मानवाधिकार आयोग की स्थापना बेरूत में की गई। 22 नवम्बर 1969 ई0 को क्षेत्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के अन्तर–अमरीकी सम्मेलन में अमरीकी मानवाधिकार प्रसंविदा 22 नवम्बर 1969 को अंगीकार की गई, जो 11 जुलाई 1978 को लागू हुई। जनवरी 1971 में कॉमनवलेल्थ राष्ट्रों की सरकारों के अध्यक्षों की एक बैठक जनवरी को सिंगापुर में हुई। जिसमें घोषणा की गई कि हमस ब प्रकार के औपनिवेशक प्रमुख और जातीय दमन का विरोध करते हैं। मई 1974 ई0 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष अधिवेशन में नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हेतु घोषणा पारित की गई। 12 दिसम्बर 1974 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने अधिवेशन में एक संकल्प अंगीकार किया जो 'आर्थिक अधिकार तथा कर्त्तव्य चाटर' के रूप में जाना जाता है। 9 दिसम्बर 1975 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकलांगों के अधिकारों की घोषणा की गयी। सन् 1975 ई. संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिलाओं के उत्थान हेतु 'अन्तर्राष्ट्रीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान' की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई।

सन् 1976 ई0 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास निधि की स्थापना की गयी। 20 नवम्बर 1976 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के क्रियान्वयन हेतु मानवाधिकार समिति का गठन किया गया। सन् 1978 ई0 को ह्यूमन राइट्स बेंच' की स्थापना की गयी। अगस्त 1979 को कामनवेल्थ राष्ट्रों की सरकारों के अध्यक्षों की एक बैठक अगस्त 1779 में लुसाका में हुई जिसमें घोषणा की गई कि हम सब रंगभेद को बनाये रखने की नीतियों को अमानवीय मानकर अस्वीकार करते हैं। 18 दिसम्बर 1979 को 'महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभावों की समाप्ति पर प्रसंविदा महासभा

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 5, May 2022
Impact Factor: 6.252

द्वारा 18 दिसम्बर 1979 को अंगीकृत की गई, जो सितम्बर 1981 को लागू हुआ। 3 दिसम्बर 1982 को संयुक्त राष्ट्र में अपने प्रस्ताव द्वारा 'विकलांगों के लिए विश्वव्यापी कार्यक्रम तैयार किया।

सन् 1984 ई. संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उत्पीड़ने एवं अन्य अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार को रोकने से संबंधित प्रसंविदा स्वीकार की गई। 29 नवम्बर 1985 ई0 को बाल न्याय प्रशासन हेतु संयुक्त राष्ट्र के स्टैण्डर्ड मिनियम रूल्स महासभा द्वारा स्वीकार किये गये। सन् 1986 को विकास के अधिकार की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई। 19 दिसम्बर 1988 ई. को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बंदीगृह में रखे गये सभी व्यक्तियों की रक्षा में संबंधित नियमों को स्वीकार किया गया। 20 नवम्बर 1989 में महासभा द्वारा बालकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बाल अधिकार प्रसंविदा 20 नवम्बनर 1989 ई. को स्वीकार की गई जो 2 दिसम्बर 1990 को लागू हुई।

15 दिसम्बर 1989 ई. को महासभा द्वारा 'सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा का द्वितीय वैकल्पिक प्रोटोकाल 15 दिसम्बर 1989 में अस्वीकार किया गया जो 11 जुलाई 1991 लागू हुआ। सन 1990 को संयुक्त राष्ट्र सभी विस्थापित श्रमिकों एवं उनके परिवारजन के अधिकारों की रक्षा के बारे में प्रसंविदा में स्वीकार की गई। 18 दिसम्बर 1991 ई0 में महासभा द्वारा ''स्वैच्छिक मानवाधिकार न्याय कोश'' की स्थापना करने की घोषणा की गयी। सन् 1992 में राष्ट्रीय अथवा जातीय, धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1992 में की गई।

निष्कर्षतः

यह कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में 25 जून 1993 को संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में वियना (आस्ट्रेलिया) में विश्व मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन हुआ। 20 दिसम्बर 1993 को महासभा ने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए दिसम्बर 1993 में एक मानवाधिकार उच्चायुक्त का गठन किया गया। 1993 ई. में भारतीय संसद ने मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु 'मानवाधिकार संरक्षण' अधिनियम 1993 में पारित किया गया, जिसके तहत ''राष्ट्रीय मानवाधिकार अयोग'' की स्थापना की गयी।[5] सन् 1996 में क्षेत्रीय स्तर पर ''राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के एरिया पैसिफिक फोरम 1996 ई0 में आस्ट्रेलिया में स्थापित किया गया।[6] सन् 2001 में मानवाधिकारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु ''संयुक्त राष्ट्र संघ'' को वर्ष 2001 का 'नोबेल शान्ति पुरस्कार' प्रदान किया गया। 16 जून 2006 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर 'मानवाधिकार परिषद' की स्थापना की गई। मई 2007 में भारत को मानवाधिकार परिषद की (पूरे तीन वर्ष तक) सदस्यता प्राप्त हुई। अप्रैल 2008 को भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी नागरिक नवानेथेम पिल्लै मानवाधिकारों हेतु संयुक्त राष्ट्र आयुक्त चुनी गई।[7]

संदर्भ ग्रंथ :

1. प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2011
2. डॉ. वी.एल. फड़िया, ''अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत एवं समकालीन राजनीतिक मुद्दे'' पृ. 263
3. प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2011
4. यू0आर0 घई, ''अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत और व्यवहार'' पृ. 429
5. तदैव पृ. 430–431
6. डॉ. वी.एल. फड़िया, ''अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत एवं समकालीन राजनीतिक मुद्दे'' पृ. 268–269
7. प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2011